न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः— 79/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्रीमती सुरेन्द्र कंवर पत्नि नरेन्द्र सिंह राजपुत निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
प्रार्थीया

बनाम

1. कालुसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपुत निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भुपेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह राजपुत निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र गोपालसिंह राजपुत निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. ग्राम पंचायत गलवा जरिये संरपच/सचिव ग्राम पंचायत गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित
1. सुनिल बाफना — अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 28.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गलवा पटवार हल्का गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा में प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 1338 रकबा 1.73 हैक्ट. आराजी नम्बर 1360 रकबा 0.41 हैक्ट. आराजी नम्बर 1361 रकबा 0.36 हैक्ट. आराजी नम्बर 1362 रकबा 0.06 हैक्ट. आराजी नम्बर 1363 रकबा 0.47 हैक्ट. आराजी नम्बर 1364 रकबा 0.22 हैक्ट.आराजी नम्बर 1365 रकबा 0.29 हैक्ट.आराजी नम्बर 1367 रकबा 0.25 हैक्ट. आराजी नम्बर 1368 रकबा 0.26 हैक्ट. कुल किता 9 कुल रकबा 4.05 हैक्ट. भुमि स्थित है। जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। विपक्षीगण प्रार्थीया के उक्त आराजियात के पड़ोसी है जिससे उन्हे विपक्षीगण बनाया गया है। प्रार्थीया व विपक्षीगण की आराजियात में मय कोई पक्के मुस्तकिल निशानात नहीं होने से आये दिन प्रार्थीर्या व विपक्षीगण के मध्य विवाद उत्पन्न होता रहता है । प्रार्थीया ने विपक्षीगण को अनेक बार कहा की प्रार्थीया की आराजियात की पत्थरगढ़ी करायी जाये ताकि हमेशा हमेशा का सीमा विवाद समाप्त हो जावे। अन्तिम आर दिनांक 10.08.2018 को कहा किन्तु विपक्षीगण के इन्कार कर दिये जाने से प्रार्थीया यह आवेदन प्रस्तुत कर रही है बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.18 को उत्पन्न होकर प्रतिदिन जारी है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 27.08.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा—फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी

प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम गलवा पटवार हल्का गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा में प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 1338 रकबा 1.73 हैक्ट. आराजी नम्बर 1360 रकबा 0.41 हैक्ट. आराजी नम्बर 1361 रकबा 0.36 हैक्ट. आराजी नम्बर 1362 रकबा 0.06 हैक्ट. आराजी नम्बर 1363 रकबा 0.47 हैक्ट. आराजी नम्बर 1364 रकबा 0.22 हैक्ट.आराजी नम्बर 1365 रकबा 0.29 हैक्ट.आराजी नम्बर 1367 रकबा 0.25 हैक्ट. आराजी नम्बर 1368 रकबा 0.26 हैक्ट. कुल किता 9 कुल रकबा 4.05 हैक्ट. भुमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीया सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 400/– अक्षरे चार सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 2000/– अक्षरे दो हजार रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा